न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 47/24 दायरा दिनांक 21.02.2024

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1—मंगल पुत्र श्रीलाल उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी बैंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2—भवानी पुत्र श्रीलाल उम्र 50 वर्ष जाति किराड निवासी बैंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

वादीगण

बनाम

1—गुड्डी पुत्र कोमल जाति सहरिया निवासी बैंटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2—गिर्राज पुत्र कोमल जाति सहरिया निवासी बैंटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

<u>निर्णय—दिनांक 05.05.2025</u>

उपस्थित— वादीगण की ओर से — श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से — एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बैंटा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नया 103 पुराना 99 में वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा किस्म बा.च. स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी वादीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है जिस पर वादीगण निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण की उक्त विवादित आराजी वर्तमान में आबादी वसावट के निकट आ गई है। प्रतिवादीगण सहरिया अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जो आपस में सगे भाई हैं। दिनांक 07.02. 2024 को दोनो प्रतिवादीगण मिलकर वादीगण की उक्त विवादित भूमि में घुस आये और जेसीबी मशीन से [illegible] पता लगते ही वादीगण मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन को बंद कराया तब [illegible] प्रतिवादीक्रम 2 गिर्राज ने मकान बनाने के लिये नींव खुदवा दी। वादीगण ने [illegible] को बंद कराया तब प्रतिवादीक्रम 1 गुड्डी [illegible] नींव खोदने लगा वादीगण ने रोका व मना किया तो प्रतिवादीगण ने मिलकर वादीगण को धमकी दी [illegible] वादीगण ने उन्हे नींव खेदने से रोका तो वे वादीगण को धारा 3 ST/SC के झूठे मुकदमें में बंद करा देंगे और वादीगण के खाते की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करके रहेंगे। वादी इसकी रिपोर्ट करने थाना शाहावाद गया तो कोई सुनवाई नहीं, की। उक्त विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:39 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

आराजी वादीगण के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण अथवा कब्जा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण की उक्त धमकी व कृत्य से वादीगण के खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है यदि प्रतिवादीगण मिलकर वादीगण के खाते की उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अथवा निर्माण करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा, इस कारण वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। दिनांक 07.02.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में प्रवेश कर अवैधानिक तरीके से मकान बनाने के निये नींव खोदने पर तथा वादीगण के रोकन व मना करने पर भी नहीं मानने पर तथा जबरन मकान निर्माण करने की धमकी देने पर वाद कारण वमुकाम आराजी बैंटा उत्पन्न हुआ है। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बैंटा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग पर कोई निर्माण अथवा अतिक्रमण नहीं करें और वादीगण के स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण को जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु कोई जबाव पेश नहीं किया गया और दिनांक 08.04.2025 को प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से स्वयं वादी मंगल पी.डबलू 1 के बयान कराये तथा जमाबंदी ग्राम बैंटा तहसील शाहाबाद सम्वत 2074–77 खाता संख्या 103 को प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस को प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी को प्रदर्श 3 तथा परिवाद पुलिस अधीक्षक दिनांक 09.02.2024 को प्रदर्श 4 के रूप में प्रदर्शित कराया। वकील वादी की एकपक्षीय वहस सुनी गई। वादीगण का आक्षेप है कि प्रतिवादीगण दिनांक 07.02. 2024 को वादीगण की उक्त विवादित भूमि में घुस आये और जेसीबी मशीन से नींव खुदवाने लगे, पता लगते ही वादीगण मौके पर पहुंचे जेसीबी मशीन को बंद कराया तब तक प्रतिवादीक्रम 2 [illegible] नींव खुदवा दी। वादीगण ने बडी मुश्किल से मशीन को बंद कराया [illegible] प्र[illegible]दीक्रम 1 गुड्डी सहरिया स्वयं गेंती से नींव खोदने लगा [illegible] ने रोका व [illegible] किया तो प्रतिवादीगण ने मिलकर वादीगण को धमकी दी [illegible] ने से रोका तो वे वादीगण को धारा 3 ST/SC के झूठे मुकदमे में बंद [illegible] देंगे और वादीगण के खाते की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करके रहेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:39 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम बैंटा तहसील शाहाबाद सम्वत 2074–77 खाता संख्या 103 प्रदर्श 1 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 133 रकबा 8.02 बीघा वादीगण के खाते की है, जिसका नक्शा तरमीम है तथा प्रदर्श 3 नकल खसरा गिरदावरी से उक्त आराजी पर वादी के कब्जा काश्त होना साबित है। वादीगण ने जिन तथ्यों पर वाद पेश किया है उन्ही तथ्यों को अंकित कर दिनांक 09.02.2024 को परिवाद एस. पी. बारां को दिया है। इससे जाहिर है कि प्रतिवादीगण पर लगाये गये आक्षेप सही हैं, जिनका कोई खंडन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। विवादित आराजी वादीगण के खाते व कब्जा काश्त की है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी की आराजी ख.नं. 133 रकबा 8.02 बीघा ग्राम बेंटा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग पर कोई निर्माण कब्जा अथवा दखलंदाजी नहीं करेगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:39 IST
Reason: SelfAttested